न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 17/2017

बउनवान

रामकरण आयु 71 वर्ष पुत्र श्री किशन जाति–बैरवा निवासी–खजूरनाकलॉ तहसील–अन्ता जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1– रामदयाल पुत्र रामकरण जाति–बैरवा निवासी–केवडा तहसील–अन्ता (मृतक)
1/1– आकाश पुत्र रामदयाल (ना.बा.) जाति–बैरवा जर्ये वली माता सावित्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति–बैरवा निवासी केवडा तहसील–अन्ता
1/2– पूजा पुत्री रामदयाल (ना.बा.) जाति–बैरवा जर्ये वली माता सावित्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति–बैरवा निवासी केवडा तहसील–अन्ता
1/3– सावित्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति–बैरवा निवासी केवडा तहसील–अन्ता

2– जगन्नाथी पुत्री रामकरण जाति–बैरवा निवासी–केवडा तहसील–अन्ता
3– प्रेमबाई पुत्री रामकरण जाति–बैरवा निवासी–केवडा तहसील–अन्ता
4– छोटीबाई पुत्री रामकरण जाति–बैरवा निवासी–केवडा तहसील–अन्ता
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला–बारां **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील बनाराजगी तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं. 439 दिनांक 11.12.2010 एवं इन्तकाल नं0 587 दिनांक 12.06.2015 वाके ग्राम केवडा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकांत शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री पिंकेश जगरवाल,अभिभाषक **(रेस्पोंडेंटस्)**

निर्णय दिनांक– 07.03.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा आराजी ख0नं0 119 रकबा 0.19 है0 एवं ख0नं0 552 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 वाके माल केवडा पटवार हल्का खजूरनाकलां तहसील अन्ता रेस्पों0 क्रम 1 ता 4 के नाम इन्तकाल नं0 439 दिनांक 11.12.2010 के द्वारा उनका नाम उक्त आराजी पर अवैधानिक रूप से राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार अंकित कर दिया है जिसके बाद रेस्पों संख्या 1 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के रूप में इन्तकाल नं0 587 दिनांक 12.06.2015 रेस्पों0 क्रम 1/1 ता 1/3 अवैधानिक रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2— अपीलांट व रेस्पों0 संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम व वल्दियत एक हीं थी तथा रेस्पों0 संख्या 1 ता 4 के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 26 रकबा 0.17 है0,ख0नं0 535 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 538 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 539 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 543 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 544 रकबा 0.18 है0 कुल 6 किता रकबा 0.95 है0 वाके माल केवडा पटवार हल्का खजूरनाकलां तहसील–अन्ता में अवस्थित थी। अपीलांट व रेस्पों0 1 ता 4 के पिता का नाम व जाति एक हीं थी किन्तु दोनो अलग–अलग गॉव के निवासी है। अपीलांट ग्राम खजूरनाकलां का निवासी है उसकी आराजी ग्राम केवडा में अवस्थित है जबकि रेस्पों कम 1 ता 4 के पिता ग्राम केवडा के मूल निवासी थे । इस प्रकार दोनो अलग जगह रहने वाले दो अलग–अलग व्यक्ति है, जिनको राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से एक हीं व्यक्ति समझ लिया गया तथा गैर कानूनी रूप से उक्त इन्तकाल नं0 439 दिनांक 11.10.2010 रेस्पों0 के नाम खोल दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट वर्णित आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जो सदैव से उक्त आराजी पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है तथा आज भी जीवित है व उक्त आराजी पर बतौर मालिक एवं स्वामी काबिज रह कर काश्त कर रहा है। रेस्पों0 का उक्त आराजी से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। रेस्पों0 के पिता की ग्राम केवडा में आराजी होने एवं वल्दियत व जाति एक होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाहीं एवं गफलत में दोनो आराजी एक हीं व्यक्ति की समझ कर सहवन से अपीलांट को मृतक बताकर रेस्पों0 के पक्ष में इन्तकाल नं0 439 दिनांक 11.12.2010 खोलकर, आराजी रेस्पों0 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी है, जो कानून के न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पों कम 1 ता 4 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपीलांट के जीवित रहते हुये उसे मृतक बताकर उसकी आराजी पर स्वंय का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया तथा उसके बाद उसी के आधार पर रेस्पो कम–1 की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर उसके वारिसान् के उक्त आराजी का नामा0 संख्या 587 खोला गया। जबकि रेस्पों0 का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाहीं तथा रेस्पोंडेंटगण से सिलीभगत के कारण उक्त अवैधानिक इन्तकाल खोला गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3— अपीलांट को उक्त इन्तकाल नं. 439 दिनांक 11.12.2010 के खोले जाने की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा ना हीं कभी रेस्पों0 उक्त आराजी पर काश्त करने आये, इस कारण अपीलांट को उक्त इन्तकाल की जानकारी नहीं मिली। किन्तु दिनांक 23.05.2017 को रेस्पों0 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर, षंडयत्र की आराजी पर कब्जा करने आये तथा अपीलांट से झगडा फसाद हुये तब अपीलांट को उक्त इन्तकाल की जानकारी मिली। उक्त अपीलांट के जीवित रहते मृतक बताकर, उसकी जानकारी व सहमति किये जाने योग्य है। प्रथम इन्तकाल हीं गलत व आधार पर खोला गया दूसरा फोती इन्तकाल अपने इन्तकाल की जानकारी दिनांक 23.05.2017 को होने पर, दिनांक नकल प्राप्त कर, जानकारी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण संख्या 439 दिनांक 11.12.2010 एवं इन्तकाल नं0 587 दिनांक 12.06.2015 वाके ग्राम केवडा निरस्त फरमाया जाकर, रेस्पोडेंट का नाम अपीलांट की खातेदारी की आराजी के राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

4– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट के ग्राम केवडा तहसील अन्ता में खाता संख्या 199 में आराजी ख0नं0 119 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 552 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 रकबा 0.50 है0 खातेदारी की अवस्थित है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। ग्राम केवडा में अपीलांट के नाम रामकरण का अन्य व्यक्ति भी है जिसके ग्राम केवडा के खाता संख्या 201 में आराजी किता 6 रकबा 0.95 है0 भूमि है, जिसकी मृत्यु होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा रेस्पोंडेंट रामकरण का फौती इन्तकाल रेस्पों क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोला गया है जिसमें अपीलांट का नाम, वल्दियत एवं जाति समान होने से अपीलांट के खातेदारी की आराजी का भी रेस्पों क्रम–1 ता 4 के साथ राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पों0 क्रम 1 ता 4 के पक्ष में इन्तकाल संख्या 439 दिनांक 11.12. 2010 को तस्दीक कर दिया है। जबकि अपीलांट व रेस्पोंडेट अलग–अलग व्यक्ति है, जिसका आपस में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलती एवं लापरवाहीं से दोनो व्यक्तियों को एक हीं समझकर रेस्पों0 क्रम 1 ता 4 के पक्ष में उक्त इन्तकाल तस्दीक किया गया है तथा रेस्पों0 क्रम–1 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान् के नाम इन्तकाल नं0 587 दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट वर्तमान में जीवित है। उसे जीवित रहते उसकी आराजी का किसी अन्य के खाते दर्ज नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कर्मचारियों की लापरवाहीं से जीवित व्यक्ति का फौती इन्तकाल दर्ज किया गया है जो पूर्णतया गैर कानूनी एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

6– अपीलांट अपने खातेदारी की आराजी पर निरन्तर बदस्तूर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोंडेट का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। [illegible] रेस्पोडेंट द्वारा खोले गये उक्त इन्तकाल की कोई जानकारी नहीं हुई। [illegible] आराजी पर कब्जा करने आये तथा लडाई झगडा करने पर आमादा [illegible] को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये इन्तकाल की जानकारी हुई [illegible] 25.5.2017 को नकल प्राप्त कर, जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] अन्ता द्वारा अपीलांट के खाते आराजी का रेस्पों0 क्रम 1 ता 4 के पक्ष में [illegible]काल संख्या 439 दिनांक 11.12.2010 एवं इन्तकाल नं0 587 वाके ग्राम [illegible] अन्ता को निरस्त फरमाया जाकर, रेस्पोडेंट का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा अपीलांट के खातेदारी की वर्णित आराजी को अपीलांट के खाते में पूर्ववत दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेट ने अपीलांट अभिभाषक का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलांट ने जो कारण बताये है, उचित नहीं है। अपीलांट को पूर्व से हीं उक्त इन्तकाल की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल विधिवत दर्ज किया गया है। इन्तकाल में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। यदि अपीलांट को इस इन्तकाल से कोई आपत्ति है तो दावा करना चाहिये था। अपील मियाद बाहर व विधि सम्मत नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

8— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट का अपील में मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जीवित रहते हुये उसकी खातेदारी की आराजी वाके ग्राम केवडा को समान नाम, वल्दियत एवं जाति के अन्य व्यक्ति रामकरण की मृत्यु होने पर, फौती इन्तकाल में रेस्पों0 की आराजी के साथ अपीलांट के खातेदारी की आराजी को भी समान व्यक्ति समझकर रेस्पों0 क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज किया गया है। इसके विपरीत रेस्पोंडेट का तर्क रहा है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। इन्तकाल सहीं दर्ज किया गया है। हमने इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट रामकरण पुत्र किशनलाल जाति—बैरवा नि. खजूरनाकलॉ जिसके ग्राम केवडा के खाता संख्या 199 में आराजी खं0नं0 119 रकबा 0.19 है0, 52 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 खातेदारी में अवस्थित है। इसी प्रकार गॉव केवडा का निवासी रामकरण जिसके भी ग्राम केवडा में किता 6 रकबा 0.95 है0 अवस्थित है। अपीलांट ग्राम खजूरनाकलां का निवासी है तथा रेस्पों0 ग्राम केवडा का निवासी है जिसमें रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के पिता रामकरण की मृत्यु होने पर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा फौती इन्तकाल संख्या 439 दिनांक 11.12.10 को दर्ज किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा सहवन से दोनो व्यक्तियों के नाम, वल्दियत एवं जाति तथा दोनो के एक हीं गॉव में आराजी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहवन या राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाहीं से अपीलांट व रेस्पोडेंट रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के पिता का समान नाम, वल्दियत व जाति होने से एक हीं व्यक्ति समझकर अपीलांट के खाते की आराजी को रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज कर दिया गया है। जबकि अपीलांट का कथन है कि वह वर्तमान में जीवित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जीवित व्यक्ति का राजस्व कर्मचारियों की [illegible] से रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज किया गया है। [illegible] रेस्पों0 क्रम 1 की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम इन्तकाल नं0 587 [illegible] गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के [illegible] रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 के नाम अपीलांट के खाते की वर्णित आराजी दर्ज [illegible] भारी कानूनी त्रुटि की गया है।

[illegible] परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, [illegible] न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 439 दिनांक 11.12.2010 एवं इन्तकाल नं0 587 दिनांक 12.06.2015 वाके ग्राम केवडा निरस्त किया [illegible] पत्रावली तहसीलदार, अन्ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कि उभयपक्षकारान् को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलांट जो जीवित होना बता रहे है, इसकी जॉच करे कि अपीलांट व रेस्पोडेंट अलग–अलग व्यक्ति है। यदि अपीलांट अलग व्यक्ति है तथा उसके खाते में ग्राम केवडा में आराजी खं0नं0 119 रकबा 0.19 है0, 52 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.50 है0 खातेदारी में अवस्थित है तो पूर्ववत प्रश्नगत आराजी अपीलांट के खाते दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official